

प्रेस नोट

दिनांक 27/08/2020 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रमना गाँव में सोमारु बाबा कि कुटिया के पास से 10 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। उक्त स्थान से ताश की तीन गड्डीया तथा माल फड़ के 2000 के 35 नोट, 500 रु0 के 472 नोट, 200 रु0 के 03 नोट , 100 रु0 का 01 नोट तथा 50 रु0 का 01 नोट, एवं 10 रु0 का 05 नोट, कुल 3,06,800/- रु0 बरामद हुआ। घटना स्थल के पास खड़ी दोनो चार पहिया स्विफ्ट डीजायर का MV ACT के अन्तर्गत सीज किया गया। जामा तलाशी के पैसों / रुपयों तथा मोबाइल अलग अलग अभियुक्तवार नामवार चिटबंदी की गई उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 0533/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत मुकदमा- मु0अ0स0 0533/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम

बरामदगी -फर्द बरामदगी 03 गड्डी ताश (प्रत्येक में 52 अदद पत्ते) नकदी 398780/- रुपये जिसमें माल फड़ 306800 रु0 एवं जामा तलाशी 91980 रुपये ,11 अदद मोबाइल जिसमें 08 टच स्क्रीन व 03 किपैड मोबाइल , 02 अदद 04 पहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर

गिरफ्तार अभियुक्तगण व बरामदगी-

1. जय प्रकाश पटेल पुत्र भुल्लन प्रसाद निवासी बसनी थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष बरामदगी - 500 रु0 के 07 नोट 100 रु0 के 03 नोट तथा 50 रु0 की 01 नोट, कुल 3850/- रुपये तथा 01 अदद VIVO टच स्क्रीन मोबाइल
2. रामाकान्त मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र नि0 अमउत बाबा का पुरा थाना फुलपुर वाराणसी उम्र 33 वर्ष बरामदगी -500 की 06 नोट , 200 की 5 नोट, 20 रु0 की 02 नोट तथा 10 रु0 की 01 नोट कुल 4050 रु0 01 अदद VIVO टच स्क्रीन मोबाइल
3. विवेक सिंह पुत्र कृपा शंकर सिंह निवासी गोडहिया थाना फुलपुर वाराणसी उम्र 32 वर्ष बरामदगी 500 रु0 के 19 नोट तथा 100 रु0 की 02 नोट कुल 9700/- रु0 तथा 01 अदद VIVO मोबाइल

4. कर्मचन्द पटेल पुत्र स्व० रामचन्द्र पटेल नि० मीरापुर बसही थाना शिवपुर वाराणसी बरामदगी 500 रु० के 26 नोट तथा 100 रु० के तीन नोट कुल 13300/- रु० व 01 अदद OPPO टच स्क्रीन मोबाइल
5. चन्द्र प्रकाश वर्मा पुत्र रामाशंकर पटेल R/O धोकल गंज थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र 34 वर्ष बरामदगी 500 रु० 02 नोट तथा 100 के तीन नोट कुल 1300 रु० तथा 01 अदद VIVO टच स्क्रीन मोबाइल
6. रामबली पटेल पुत्र सोमारु पटेल नि० नेवादा साधोगंज थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी उम्र 40 वर्ष बरामदगी 500 रु० के 14 नोट , 100 रु० के 05 नोट, 20 रु० का तीन नोट तथा 10 रु० के आठ नोट कुल 7640 रु०
7. पवन कुमार पुत्र रामाशंकर राजभर नि० करमी थाना फुलपुर वाराणसी उम्र 23 वर्ष बरामदगी 2000 रु० की 03 नोट, 500 रु० के 10 नोट, 200 रु० की 01 नोट 100 रु० की एक नोट, 50 रु० की 01 नोट कुल 11350/- रु० तथा एक अदद SAMSUNG टच स्क्रीन मोबाइल
8. नागेन्द्र दुबे पुत्र शम्भुनाथ दुबे नि० परसरा थाना फुलपुर वाराणसी उम्र 36 वर्ष बरामदगी 500 रु० के 04 नोट, 20 रु० के 02 नोट कुल 2040 रु० तथा 1 अदद Redmi टच स्क्रीन मोबाइल
9. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र प्रसाद पटेल नि० कठिराव जंगलपुर थाना फुलपुर वाराणसी उम्र 33 वर्ष बरामदगी 500 रु० के 06 नोट , कुल 3000/- रु० तथा एक अदद SAMSUNG कीपेड मोबाइल
10. छोटेलाल पटेल पुत्र स्व०जायता प्रसाद नि० साधोगंज थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र 42 वर्ष बरामदगी 500 रु० ते 73 नोट, 200 रु० के 01 नोट तथा 50 रु० के 01 नोट कुल 36750 रु० तथा 02 अदद मोबाइल Redmi टच स्क्रीन एवं SANSUNG कीपैड

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. उ०नि० प्रभाकर सिंह
2. उ०नि० उपेन्द्र यादव
3. उ०नि० शशि प्रताप सिंह
4. हे०का० नमोनारायण पाण्डेय
5. का० बन्टी सिंह
6. का० कन्हैया सरोज
7. का० सुमित सिंह
8. का० मनीष कुमार

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

आज दिनांक 28.08.2020 को थाना चौक पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर लुटेरे/अपराधी विशाल डोम उर्फ विश्वा, फौजदार मोहम्मद, सूरज राम, राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर कब्जे से लूटी गयी चैन व रुपये 6500/- नगद व दो अदद मोबाइल व नाजायज एक अदद चाकू, व एक अदद आटो रिकशा बरामद की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में घटित होने वाले संगीन अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चौक के कुशल नेतृत्व में थाना चौक पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.08.2020 को समय 05.30 बजे मुखबिर की सूचना पर हड़हा बाबा का मन्दिर बेनियाबाग थाना चौक के पास से 04 शातिर लुटेरे/अपराधी विशाल डोम उर्फ विश्वा, फौजदार मोहम्मद, सूरज राम, राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट की चैन व रुपये 6500/- नगद व दो अदद मोबाइल व नाजायज एक अदद चाकू, व एक अदद आटो रिकशा बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना चौक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व विवरण -

1. विशाल डोम उर्फ विश्वा पुत्र रतन डोम निवासी खरबूजा शहीद नदेसर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष
2. फौजदार मोहम्मद पुत्र स्व0 गफूर अहमद निवासी रन्दतपुर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष
3. सूरज राम पुत्र भीम राम निवासी ग्राम डेहरीओनसोन हरिजन महल्ला डोमबस्ती थाना डालमिया जिला रोहतास बिहार उम्र 21 वर्ष
4. राहुल विश्वकर्मा पुत्र स्व0 रामचन्द्र विश्वकर्मा निवासी A 34/2 BA हनुमान फाटक तेलियाबाग थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- लूटी गयी चैन व रुपये 6500/- नगद
- दो अदद मोबाइल
- नाजायज एक अदद चाकू ,
- एक अदद आटो रिकशा

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

1. आपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल डोम उर्फ विश्वा डोम का निम्न है

1. मु0अ0सं0 59/13 धारा 392/411 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
2. मु0अ0सं0 592/14 धारा 401 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
3. मु0अ0सं0 593/14 धारा 411/413/414 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
4. मु0अ0सं0 994/14 धारा 8/22 NDPS ACT भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
5. मु0अ0सं0 855/14 धारा 356/379/411 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
6. मु0अ0सं0 237/14 धारा 3(1) यूपी गैगैस्टर एक्ट भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
7. मु0अ0सं0 883/14 धारा 392/411 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
8. मु0अ0सं0 98/18 धारा 8/22 NDPS ACT भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
9. मु0अ0सं0 106/2020 धारा 392/411 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
10. मु0अ0सं0 519/13 धारा 392/411 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
11. मु0अ0सं0 992/14 धारा 401 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
12. मु0अ0सं0 993/14 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
13. मु0अ0सं0 825/19 धारा 356/379/411 भादवि थाना कैण्ट जीआरपी वाराणसी
14. मु0अ0सं0 0085/2020 धारा **392,411,120B,34 भा0द0वि0** थाना चौक जनपद वाराणसी

2. आपराधिक इतिहास अभियुक्त फौजदार मोहम्मद पुत्र गफूर अहमद का निम्न है –

1. मु0अ0सं0 308/16 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जी0आ0रपी0 मुगलसराय वाराणसी
2. मु0अ0सं0 876/17 धारा 8/21/22 NDPS ACT थाना जी0आ0रपी0 मुगलसराय वाराणसी
3. मु0अ0सं0 396/17 धारा 380/411 भादवि थाना जी0आ0रपी0 मुगलसराय वाराणसी
4. मु0अ0सं0 866/17 धारा 379/411 भादवि थाना जी0आ0रपी0 मुगलसराय वाराणसी
5. मु0अ0सं0 61/18 धारा 8/22 NDPS ACT थाना जी0आ0रपी0 मुगलसराय वाराणसी
6. मु0अ0सं0 550/18 धारा 380/411 भादवि थाना जी0आ0रपी0 मुगलसराय वाराणसी
7. मु0अ0सं0 551/18 धारा 356/379/411 भादवि थाना जी0आ0रपी0 मुगलसराय वाराणसी
8. मु0अ0सं0 0085/2020 धारा **392,411,120B,34 भा0द0वि0** थाना चौक जनपद वाराणसी

3. आपराधिक इतिहास अभियुक्त है सूरज राम पुत्र भीम का निम्न है-

1. मु0अ0सं0- 85/2020 धारा 392,411,120B,34 भा0द0वि0 थाना चौक वाराणसी
2. मु0अ0सं0- 89/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भा0द0वि0

4. आपराधिक इतिहास अभियुक्त है राहुल विश्वकर्मा पुत्र स्व0 रामचन्द्र विश्वकर्मा का निम्न है-

1. मु0अ0सं0- 85/2020 धारा 392,411,120B,34 भा0द0वि0 थाना चौक वाराणसी

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-. .

- उ0नि0 श्रीकान्त मौर्य, उ0नि0 स्वतन्त्र सिंह, उ0नि0 सौरभ पाण्डेय, का0अली अतहर, का0उपेन्द्र कुमार, का0
विक्की कुमार ,का0 मनोज कुमार, का0 विकास सिंह थाना चौक, जनपद वाराणसी

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर असलहा तस्करो गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद नाजयज तमन्चा 315 बोर व 03 अदद नाजयज जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद टोटो बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी/पुलिस अधीक्षक नगर/अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में वांछित इनामियां व चैन स्नेचरो तथा असलहा तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे एक विशेष अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट की देखरेख में असलहा तस्करो के विरुद्ध एक टीम का गठन कर जिले में हो रही असलहा की तस्करी के सम्बन्ध में गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक टोटो में कुछ असलहे व कारतूस बेचने की फिराक में है। अगर जल्दी करे तो सब पकड़ा जायेगा। इस सूचना पर विश्वास कर गठित टीम ने महावीर मन्दिर जाने वाली रोड पर हिकमत अमली व सूझबुझ से घेरघार कर दोनो अभियुक्तो को गिरफ्तार कर कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व टोटो गाडी बरामद करने में सफलता प्राप्त की

पूछताछ विवरण-

कडाई से पूछताछ करने पर राजेश गुप्ता और विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि साहब हमलोग अनपढ़ व अशिक्षित है। कोविड-19 महामारी में हमलोगो को पैसो की बड़ी किल्लत हो गयी थी। टोटो चलाने से हमलोगो का घर का खर्चा चलाना दुर्लभ हो गया था। इसलिए हमारे एक मित्र ने बताया कि तुम असलहा व कारतूस के धन्धे में काम करोगे तो तुमलोगो को ठीक ठाक पैसा मिल जायेगा। इस लालच में हमदोनो लोगो ने असलहा व कारतूस का काम करने लगे। जब किसी को जरूरत पड़ती थी तो हमलोगो से सम्पर्क करते थे। तो असलहा व कारतूस को उच्चे दाम में बेच देते थे। जिससे काफी पैसा मिल जाता था। हमलोग इसलिए पुलिस की नजर से बच जाते थे क्योंकि हम टोटो चलाते है। और पुलिस को शंका नहीं होती थी। आज महावीर मंदिर अर्दली बाजार के पास एक ग्राहक को देने के लिये जा रहे थे कि आपलोगो द्वारा घेरघार कर हमदोनो लोगो को पकड़ लिया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व विवरण* -**

1. राजेश गुप्ता S/O स्व0 रामजी गुप्ता निवासी तरन्ना बाईपास पुलिस पिकेट के पास थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 45 वर्ष
2. विनोद कुमार गुप्ता S/O स्व0 लल्लन साह निवासी ग्राम धोड़हा थाना शिवपुर वाराणसी हुलिया दोहरी जिस्म आँख कान नाक कान कद औसत उम्र करीब 36 वर्ष

***बरामदगी का विवरण* -**

1. 01 अदद नाजयज तमन्चा 315 बोर
2. 03 अदद नाजयज जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक अदद वाहन टोटो

***गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण*-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह थाना कैण्ट वाराणसी
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव चौकी अर्दली बाजार थाना कैण्ट वाराणसी
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार प्रभारी चौकी नदेसर थाना कैण्ट वाराणसी
4. का0 रामानन्द यादव क्राइम टीम थाना कैण्ट वाराणसी
5. का0 दीपक यादव थाना कैण्ट वाराणसी
6. का0 विशाल 2 थाना कैण्ट वाराणसी
7. का0 सन्तोष यादव थाना कैण्ट वाराणसी

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

थाना रोहनियां पुलिस टीम ने चोरी की मोटर साइकिल के साथ एक अभियुक्त शुभम सिंह को किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिंग व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व परशुराम त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक रोहनियाँ जनपद वाराणसी के नेतृत्व में दिनांक 27/8/20 को उ0नि0 रामकुमार पाण्डेय व उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराही पैन्थर III के कर्मचारी आ0 रामध्यान, आ0 प्रफुल्ल के अन्तर्गत राजातालाब सब्जी मंडी हाईवे के बगल में देखभाल क्षेत्र व चेंकिंग में कर रहे थे की मुखबिर ने सूचना दी की एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल लाकर बेचने के लिए राजातालाब से जंसा जाने वाली मोड़ पर ग्राहक का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना क आधार पर उक्त स्थतान से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम शुभम सिंह S/O गुलाब सिंह निवासी मरुई थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष बताया। उक्त व्यक्ति के पास चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रोहनियां पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व विवरण* :-**

1. शुभम सिंह S/O गुलाब सिंह निवासी मरुई थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष

***बरामदगी का विवरण* -**

- मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर प्रो व रंग काला /सफेद बिना नम्बर प्लेट के इन्जन नं0 HA1QERFHD47384 चेचिस नं0 MBLHA18BFFHD34478 बरामद हुई

***गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम*:-**

1. नि0 अपराध इन्द्रभूषण यादव थाना रोहनियाँ वाराणसी
2. उ0नि0 रामकुमार पाण्डेय थाना रोहनियां वाराणसी
3. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना रोहनियां वाराणसी
4. आ0 रामध्यान थाना रोहनियां वाराणसी
5. आ0 प्रफुल्ल थाना रोहनियां वाराणसी

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 28-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 49 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *296 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1714 वाहनों का चालान तथा 574 वाहनों से ₹0-4,25,900/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 28-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 2120 व्यक्तियों से ₹0-1,31,850/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी